

राजस्थान सरकार  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : प-2( )रामले/स्था/DPC/2019-20/2019/1393-1437 दिनांक : 05/07/2019

1. सम्भागीय आयुक्त, समस्त।
2. जिला कलक्टर, समस्त।
3. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
4. इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना, बीकानेर।
5. प्राचार्य सर्वउद्देशीय राजस्व प्रशिक्षणालय, टोंक।
6. रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, जयपुर

विषय :- सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-II से सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-I एवं तहसील राजस्व लेखाकार से सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-II पद पर वर्ष 2019-20 की डी.पी.सी. आयोजित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-I एवं सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-II के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु वर्ष 2019-20 की डी.पी.सी. की बैठक शीघ्र आयोजित की जानी है। अतः आपके अधीनस्थ कार्यरत सहायक राजस्व लेखाधिकारी ग्रेड-II एवं तहसील राजस्व लेखाकार से संबंधित सूचनाएं मण्डल कार्यालय में 07 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाने की व्यवस्था करावें :-

1) वर्ष 2012-13 से आदिनांक तक की अवधि में दिये गये दण्डों का विवरण (सेवाभिलेख के आधार पर)

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	घटना वर्ष	आरोप का विवरण एवं नियम	दिये गये दण्डों का विवरण	विशेष विवरण
---------	--------------------	-----------	------------------------	--------------------------	-------------

2) वर्तमान में प्रस्तावित/विचाराधीन विभागीय जांच का विवरण :-

क्र.सं.	नाम कर्मचारी मय पद	घटना वर्ष	आरोप का संक्षिप्त विवरण एवं नियम (आरोप पत्र/आरोप विवरण पत्र की प्रति संलग्न करें)	जांच अधिकारी नियुक्त करने की तिथि	विभागीय जांच प्रारम्भ करने की तिथि	वर्तमान स्थिति
---------	--------------------	-----------	---	-----------------------------------	------------------------------------	----------------

- 3) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से सम्बन्धित शिकायत यदि कोई हो तो उसका पूर्ण विवरण।
- 4) वर्ष 2012-13 से आदिनांक तक के गोपनीय प्रतिवेदन यदि अभी तक मण्डल कार्यालय को नहीं भिजवाये गये हैं तो अविलम्ब प्रेषित करें।
- 5) वर्ष 2012-13 से आदिनांक तक की अवधि में सेवाएं सन्तोषप्रद रहने अथवा नहीं रहने के आशय का प्रमाण पत्र।
- 6) कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक: एफ.7(1)डीओपी/क-2/95 दिनांक : 20.06.2001 के क्रम में बच्चों की संख्या का घोषणा पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित हो (प्रारूप संलग्न) एवं सम्पत्ति का घोषणा पत्र।
- 7) फौजदारी प्रकरण के सम्बन्ध में कोई प्रकरण विचाराधीन हो तो उसका पूर्ण विवरण सहित।

राज्य सरकार द्वारा डी.पी.सी. की बैठक प्राथमिकता से आयोजित किये जाने के निर्देशों के मद्देनजर वांछित सूचनाएं अविलम्ब भिजवायें। वांछित सूचनाएं समय पर मण्डल कार्यालय में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मण्डल की जिम्मेदारी नहीं होगी।

संलग्न : प्रारूप उपरोक्तानुसार।

( विनीता श्रीवास्तव )  
निबंधक

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : सम/ 1438

दिनांक : 05/07/2019

प्रतिलिपि :-

1-संयुक्त निदेशक (एस ए)को मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

अतिरिक्त निबंधक (वित्त एवं लेखा)  
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

